

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**

**मांग संख्या 93**

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	4086.10	371.40	4457.50	4569.85	365.68	4935.53	4541.65	407.68	4949.33	4459.90	445.88	4905.78	
पूँजी	9.79	...	9.79	16.15	...	16.15	8.35	...	8.35	18.10	...	18.10	
जोड़	4095.89	371.40	4467.29	4586.00	365.68	4951.68	4550.00	407.68	4957.68	4478.00	445.88	4923.88	
<b>सांख्यिकी</b>													
1. सचिवालय – आर्थिक सेवा	3451	...	15.98	15.98	...	17.56	17.56	...	17.52	17.52	...	19.24	19.24
<b>जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>													
2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	3454	...	204.92	204.92	...	202.43	202.43	...	224.10	224.10	...	244.96	244.96
3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	3454	116.30	27.00	143.30	140.79	28.16	168.95	121.23	26.03	147.26	149.14	28.49	177.63
4. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	3454	41.39	117.16	158.55	38.70	105.22	143.92	36.00	127.99	163.99	...	139.99	139.99
5. कार्यक्रम कार्यान्वयन	3454	4.19	...	4.19	6.30	...	6.30	5.40	...	5.40	9.00	...	9.00
6. आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी													
6.01 आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी – सामान्य घटक	3454	...	6.34	6.34	...	6.91	6.91	...	6.85	6.85	...	7.50	7.50
	3601	171.57	...	171.57	336.78	...	336.78	335.94	...	335.94	124.63	...	124.63
	3602	8.30	...	8.30	5.18	...	5.18	5.08	...	5.08	4.05	...	4.05
	5475	9.79	...	9.79	16.15	...	16.15	8.35	...	8.35	18.10	...	18.10
जोड़		189.66	6.34	196.00	358.11	6.91	365.02	349.37	6.85	356.22	146.78	7.50	154.28
6.02 आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी – ईएपी घटक	3601	22.35	...	22.35	24.00	...	24.00	23.50	...	23.50	70.08	...	70.08
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.20	...	0.20
जोड़		22.35	...	22.35	24.00	...	24.00	23.50	...	23.50	70.28	...	70.28
जोड़- आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी		212.01	6.34	218.35	382.11	6.91	389.02	372.87	6.85	379.72	217.06	7.50	224.56
7. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं / योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	47.10	5.40	52.50	45.18	...	45.18	44.68	...	44.68
8. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए ईएपी घटक	2552	...	...	...	16.00	...	16.00	14.32	...	14.32	8.12	...	8.12
<b>जोड़-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>		373.89	355.42	729.31	631.00	348.12	979.12	595.00	384.97	979.97	428.00	420.94	848.94

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
<b>जोड़-सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन</b>													
9. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	...	...	...	...	...	5.19	5.19	...	5.70	5.70	
<b>अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</b>													
10. राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता - विशेष केन्द्रीय सहायता													
10.01 संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना	2553	3722.00	...	3722.00	3955.00	...	3955.00	3955.00	...	3955.00	4050.00	...	4050.00
<b>कुल जोड़</b>		<b>4095.89</b>	<b>371.40</b>	<b>4467.29</b>	<b>4586.00</b>	<b>365.68</b>	<b>4951.68</b>	<b>4550.00</b>	<b>407.68</b>	<b>4957.68</b>	<b>4478.00</b>	<b>445.88</b>	<b>4923.88</b>
<b>विकास शीर्ष</b>		<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>
<b>ग. योजना परिव्यय केन्द्रीय योजना:</b>													
1. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	373.89	...	373.89	567.90	...	567.90	535.50	...	535.50	375.20	...	375.20
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	63.10	...	63.10	59.50	...	59.50	52.80	...	52.80
<b>जोड़ - केन्द्रीय योजना</b>		<b>373.89</b>	<b>...</b>	<b>373.89</b>	<b>631.00</b>	<b>...</b>	<b>631.00</b>	<b>595.00</b>	<b>...</b>	<b>595.00</b>	<b>428.00</b>	<b>...</b>	<b>428.00</b>
<b>राज्य योजना:</b>													
1. अन्य विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	43601	3722.00	...	3722.00	3955.00	...	3955.00	3955.00	...	3955.00	4050.00	...	4050.00
<b>जोड़ - राज्य योजना</b>		<b>3722.00</b>	<b>...</b>	<b>3722.00</b>	<b>3955.00</b>	<b>...</b>	<b>3955.00</b>	<b>3955.00</b>	<b>...</b>	<b>3955.00</b>	<b>4050.00</b>	<b>...</b>	<b>4050.00</b>
<b>जोड़</b>		<b>4095.89</b>	<b>...</b>	<b>4095.89</b>	<b>4586.00</b>	<b>...</b>	<b>4586.00</b>	<b>4550.00</b>	<b>...</b>	<b>4550.00</b>	<b>4478.00</b>	<b>...</b>	<b>4478.00</b>

1. **सचिवालय आर्थिक सेवा:** मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री के कार्यालय के सचिवालयीन व्ययों के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन:** राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का संबंध आंकड़ा संग्रहण के लिए एक समुचित तथा बुनियादी रूप से जुड़े कार्यक्रम का विकास करने से है, जो कि नीति निर्माण के लिए सांख्यिकी में आंकड़ा अंतराल को भरने के लिए बनाया गया है। यह आंकड़ों के अनुपूरक संग्रहण के द्वारा अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों की ओर से आंकड़ों के संग्रहण और सारणीयन का कार्य भी करता है। हालांकि एनएसएसओ के विभागीय कैंटीन का प्रावधान इसमें सम्मिलित नहीं है। यहां केवल गैर-योजना के तहत एनएसएसओ बजट प्रावधान दर्शाया गया है।

3. **केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन:** एनएसएसओ सहित केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ)के लिए प्रावधान किया गया है जो कि मानकीकरण बनाने, राष्ट्रीय लेखे तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्टें संकलित करने और प्रकाशित करने तथा भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण आदि के रीतिविधान कार्यों सहित कार्य प्रणाली के लिए

जिम्मेदार है। संगणक केंद्र की योजना व्यय के तहत आवश्यकताओं को भी 2012-13 से इसमें सम्मिलित किया गया है। यहां सीएसओ का गैर-योजना व्यय भी दर्शाया गया है।

4. **भारतीय सांख्यिकीय संस्थान:** भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, अनुसंधान, प्रशिक्षण और सांख्यिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोगों के एकीकृत कार्यक्रम चलाता है। सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत इस स्वायत्त संस्थान का वित्तपोषण पूर्णतः सरकार द्वारा अनुदान अनुदान से किया जाता है।

5. **कार्यक्रम कार्यान्वयन:** कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संस्थागत विकास, क्षमता निर्माण तथा बुनियादी ढांचे के निष्पादन प्रबंधन के लिए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध को बीस सूत्री कार्यक्रम और उच्च लागत वाली सरकारी परियोजनाओं की निगरानी तथा साथ ही एमपीलैड्स स्कीम के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है

6.01. **आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी- सामान्य घटक:** संगणक केन्द्र के लिए प्रावधान किया गया है जो मुख्यतया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आंकड़ा प्रसंस्करण संबंधी जरूरतों को देखता है। इसमें विभागीय कैंटीन (सीएसओ तथा एनएसएसओ दोनों), के वेतन संबंधी व्यय को पूरा करने, आंतरिक अंशदान और आईएआरएनआईडब्ल्यूव को सहायता अनुदान का भी प्रावधान है।

6.02. **आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी- ईएपी घटक:** यह प्रावधान आईएसएसपी के ईएपी घटक के लिये है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्तज प्रावधान:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।

8. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए ईएपी घटक:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के वास्ते आईएसएसपी के ईएपी घटक के लिये है।

9. **सचिवालय-सामान्य सेवा:** कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिवालय के स्थापना-संबंधी व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

10.01. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:** सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के लिए प्रावधान किया गया है और इसे राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के हिस्से के रूप में योजना में शामिल किया गया है।